शीर्ष प्राथमिकता एवं समयबद्धता

संख्या-13/2019/499जेड/6-सा-3-19

प्रेषक,

राजन शुक्ला,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त,
जिलाधिकारी।

राजनैतिक पेंशन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 14 जून, 2019

विषय: अपराधिक प्रकृति के व्यक्तियों को लोकतंत्र सेनानी घोषित कर सम्मान राशि व सुविधायें दिए जाने के संबंध में लोकतंत्र रक्षक सेनानियों की पात्रता की पुन: जांच किए जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-यू0ओ0-72(1)/6-सा-3-2018, दिनांक 26.11.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- प्रकरण में कतिपय जनपदों से लोकतंत्र रक्षक सेनानियों की सम्मान राशि का भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में उचित मार्गदर्शन प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि ऐसे लोकतंत्र सेनानी जिन्हें जब तक सजायाबी घोषित न कर दिया जाय तब तक कदाचित ऐसी सम्मान राशि व सुविधाओं को रोका जाना न्यायोचित नहीं होगा।

भवदीय,

(राजन शुक्ला)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, राजनैतिक पेंशन विभाग उत्तर प्रदेश शासन ।
2- निदेशक/सचिव, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद।
3- राजनैतिक पेंशन अनुभाग-1/2/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद अनुभाग।
4- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सूर्य कुमार)
उप सचिव।

~~1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।~~

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।